# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर

*जिला न्यायालय परिसर*

**Email-Id :- dlsa2alwar@gmail.com Phone:- 0144-2940098**

क्रमांकः— 2024 / संविदा(च.श्रे.क.) / 68 दिनांकः— 06/03/24

## —:विज्ञप्तिः—

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्र कमांक एफ—7(136) / रालसा / संस्था / संविदा सेवा / 2023 / 101 दिनांक 27.02.2024 के निर्देशानुसार राजस्थान सरकार, विधि विभाग की आज्ञा संख्या प.08(1) विधि—2 / विरस (64) / 2015 पार्ट II दिनांक 14.02.2024 के अनुसरण में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो के रिक्त पदो पर नियमित भर्ती होने में विलम्ब की संभावना होने एवं तत्कालिक आवश्यकता की दृष्टिगत रखते हुए जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में राज्य सरकार के विभागो / पीसएयू से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर, अधीनस्थ तालुका विधिक सेवा समितियॉ एवं स्थाई लोक अदालत, अलवर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों के विरूद्व संविदा सेवाओं के तहत वित्तीय वर्ष 2024—25 (दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 28.02.2025) तक अथवा नियमित भर्ती होने तक, जो भी पहले हो) हेतु निम्नानुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदो के विरूद्व सेवानिवृत कार्मिको / राज्य सरकार के विभागो से प्रतिनियुक्ति पर सेवाएँ निम्नानुसार ली जानी हैः—

| क्र. सं. | पद | कार्यालय | रिक्त पदो की संख्या |
|---|---|---|---|
| 01 | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर | 04 |
| 02 | | स्थाई लोक अदालत, अलवर | 02 |
| 03 | | तालुका विधिक सेवा समिति, बहरोड़ | 01 |
| 04 | | तालुका विधिक सेवा समिति, किशनगढबास | 01 |
| 05 | | तालुका विधिक सेवा समिति, राजगढ़ | 01 |
| 06 | | तालुका विधिक सेवा समिति, लक्ष्मणगढ़ | 01 |
| 07 | | तालुका विधिक सेवा समिति, तिजारा | 01 |
| 08 | | तालुका विधिक सेवा समिति, बानसूर | 01 |
| 09 | | तालुका विधिक सेवा समिति, मुण्डावर | 01 |
| 10 | | तालुका विधिक सेवा समिति, कठूमर | 01 |
| 11 | | तालुका विधिक सेवा समिति, थानागाजी | 01 |
| **कुल** | | | **15** |

**शर्तेः—**

1. उक्त पदो पर सेवाओ के फलस्वरूप समेकित पारिश्रमिक राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमो के निर्देशानुसार देय होगी। कर्मचारीगण का चयन निम्न प्राथमिकता के कम में किया जायेगाः—

- उक्त परिपत्रो के प्रावधानो के अनुसार सेवानिवृत कर्मचारी।
- सेवानिवृत कर्मचारी उपलब्ध नही होने की दशा मे विपरीत प्रतिनियुक्ति पर संबंधित विभाग के माध्यम से उनके कर्मचारी।

2. ऐसे सेवानिवृत कार्मिक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नही हुई है, वे विज्ञप्ति के साथ संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेजात प्रस्तुत करेगे। उक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो की सेवाएँ राज्य सरकार एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशो / निर्देशो / परिपत्रो के अध्यधीन प्रभावी रहेगी। उक्त सेवाएं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, स्थाई लोक अदालत एवं अधीनस्थ तालुका विधिक सेवा समितियों में रिक्त पदो के अनुसार ली जावेगी।

3. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक 01 वर्ष में 12 दिवस की वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होगे। वे राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 वां भाग काटा जायेगा।

4. ऐसे सेवानिवृत कार्मिकों, जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत किया गया है या जिन्हें किसी अन्य रीति से दण्डित किया गया है, के संबंध में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जायेगा।

5. कार्मिक को पुनर्नियुक्ति के समय नियमानुसार सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक की सेवा किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किए जाने के दायित्व के अध्यधीन होगी।

अतः सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित शर्तों पर सेवाएं देने वाले इच्छुक सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दिनांक 12.03.2024 को कार्यालय समय तक इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

**आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किये जाने आवश्यक है:-**

- विभाग द्वारा जारी सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति
- अन्तिम भुगतान प्रमाण पत्र (एलपीसी) की प्रति
- पीपीओ की प्रति
- विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण-पत्र (प्रारूप संलग्न है)

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण)
अलवर (राज0)

क्रमांकः- 1684-1692

दिनांकः- 06/03/24

1 श्रीमान सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2 श्रीमान अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर।
3 श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर।
4 श्रीमान जिला कलक्टर, अलवर को समस्त विभागों में सूचित करने हेतु।
5 अलवर न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालयों को जरिये ई-मेल नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
6 सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
7 जिला जनसंपर्क अधिकारी, अलवर।
8 सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, अलवर को कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
9 नोटिस बोर्ड, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर।
10 आदेश संबंधित पत्रावली।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
अलवर (राज0)